



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 1 अक्टूबर, 2020

आश्विन 9, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग

संख्या 370/91-2020

लखनऊ, 1 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-248

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14-2010-33(100)-2010-टी0सी0-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या-64 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र० सं०	विभाग का नाम	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	1-खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु लेटर आफ इन्टेंट जारी करना	जिला मजिस्ट्रेट	10 कार्य दिवस (ई निविदा-नीलामी पूर्ण होने के दिनांक से)	मण्डलायुक्त	10 कार्य दिवस	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म	10 कार्य दिवस

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2-पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् खनन पट्टा विलेख का निष्पादन	जिला मजिस्ट्रेट	15 कार्य दिवस	मण्डलायुक्त	15 कार्य दिवस	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म	15 कार्य दिवस
		3-(100 घन मी0 से अधिक) साधारण मिट्टी के खनन की अनुमति हेतु आवेदन	जिला मजिस्ट्रेट	7 कार्य दिवस (विभागीय पोर्टल पर आवेदन के दिनांक से)	मण्डलायुक्त	7 कार्य दिवस	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म	7 कार्य दिवस
		4-उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अधीन उपखनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति	जिला मजिस्ट्रेट	7 कार्य दिवस (विभागीय पोर्टल पर आवेदन के दिनांक से)	मण्डलायुक्त	7 कार्य दिवस	निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म	7 कार्य दिवस
66	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 2019	उप कृषि निदेशक	15 कार्य दिवस	मुख्य विकास अधिकारी	15 कार्य दिवस	जिला मजिस्ट्रेट	7 कार्य दिवस

आज्ञा से,  
जितेन्द्र कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 370/XCI-2020, dated October 1, 2020 :

No. 370/ XCI-2020

*Dated Lucknow, October 1, 2020*

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act no. 3 of 2011) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, the following amendment in Government notification no. 2198/1-14-2010-33(100)-2010 T.C.-III, dsted January 15, 2011 as amended from time to time.

#### AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the Schedule *after* entries at serial number 64, the following entries shall, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, column-wise be *inserted*, namely:-

SCHEDULE

Sl. no.	Name of the Departments	Services	Designated Officer	Stipulated time limits for services	First Appeal Officer	Stipulated time limits for disposal by First Appeal Officer	Second Appellate Authority	Stipulated time limits for disposal by Second Appeal Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Department of Geology and Mining	1. Issue of Letter of intent for grant of mining lease	District Magistrate	10 working days (From the date of completion of e-tender auction)	Commissioner	10 working days	Director, Geology and Mining	10 working days
		2. Execution of Mining lease deed after receiving environmental clearance	District Magistrate	15 working days	Commissioner	15 working days	Director, Geology and Mining	15 working days
		3. Application for permission of ordinary earth mining (more than 100 cubic meters)	District Magistrate	7 working days (From the date of application on the departmental portal)	Commissioner	7 working days	Director, Geology and Mining	7 working days
		4. License for storage of minor minerals under the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2018	District Magistrate	7 working days (From the date of application on the departmental portal)	Commissioner	7 working days	Director, Geology and Mining	7 working days
66	Agriculture Department, U.P.	Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna, 2019	Deputy Director, Agriculture	15 working days	Chief Development Officer	15 working days	District Magistrate	7 working days

By order,  
JITENDRA KUMAR,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-295 राजपत्र-2020-(733)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-2 लोक सेवा प्रबन्धन-2020-(734)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।